बिन्दु क्रमांक 09

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

संस्थान की शक्तियां और उसके कृत्य,

5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थातः—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसी कि संस्थान ठीक समझे तथा संस्कृत और उसके साहित्य तथा ज्ञान की ऐसी सहबद्ध शाखाओं से सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, अध्यापन तथा शिक्षण का उपबंध करनाः

(ख) संस्कृत में शोध हेतु उपबंध करना, विशेष पाठ्यक्रम संचालित करना और संस्कृत और उसके साहित्य एवं सहबद्ध शाखाओं के ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसका प्रसार करनाः

(ग) संस्थाओं, स्कूलों, विभागों अथवा विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, उनका संधारण करना और प्रबंध करनाः

(घ) संस्कृत स्कूलों अथवा पाठशालाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, उसे वापस लेना अथवा उसे उपांतरित करनाः

(ड) संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम अधिकथित करनाः

(च) प्रमाण पत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं और पदवी प्रदान करनाः

(छ) परीक्षाएं या परीक्षण आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना जिन्होने अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे संस्थान में अथवा ऐसे स्कूल में अध्ययन किया हो, जिसे कि संस्थान के विशेषाधिकार दिए गए हों, तथा जिन्होंने संस्थान द्वारा विहित परीक्षाएं और परीक्षण ऐसी रीति में उत्तीर्ण किए हों, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए:

(ज) संस्थान द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाण पत्र को ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, वापस लेना अथवा निरस्त करना:

(झ) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सम्मेलन, गोष्ठियां, कार्यशालाएं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम अयोजित तथा संचालित करना:

(ञ) अभिलेखागार, पुस्ताकालय, सूचना केन्द्र डाटा बैंक, संग्राहलय, तथा ऐसी अन्य संस्थाएं जो कि संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने में उपयोगी हों संधारित करना:

(ट) संस्कृत में किए गए मूल्यवान कार्यो को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन पाण्डुलिपियों को एकत्रित करना, उनका संरक्षण करना, उनका संपादन करना, तथा उन्हे प्रकाशित करना:

(ठ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति, संगम या निगमित निकाय से संदान, अनुदान, दान स्वीकार करना अथवा धन उधार लेना: परंतु धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग मध्यप्रदेश सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा:

(ड) संस्कृत के प्रोन्नयन के लिए विन्ययास संस्थित करना, धरित करना और उसका प्रबंध करना:

(ढ़) संस्कृत के उन्नयन और प्रसार के लिए पुरूस्कार (आवार्ड), अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पारितोषिक (प्राईज), पदक (मैडल) संस्थित करनाः

(ण) ऐसे प्रयोजनों के लिए संस्थाओं या व्यक्तियों को जो संस्थान के उद्देंश्यों को आगे बढाने के लिए सहायक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देनाः

(त) सम्बद्ध स्कूलों का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाते हैं तथा उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाते हैं तथा उनमें पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध की जाती हैः

(थ) सम्बद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस विनियमित करनाः

(द) अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट निकायों के साथ ऐसी रिति में और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जैसा कि संस्थान अवधारित करेंः

(ध) संस्थान के आंतरिक वित्तीय संसाधनों को विकसित करनाः

(न) संस्कृत, शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश करनाः

(प) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना तथा संस्थान के लिए उनमें नियुक्ति करनाः

(फ) बच्चों के लिए संस्कृत में साहित्य, गीत और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढावा देनाः

(ब) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित, प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं में विहित किए गए अध्ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना तथा पाठ्य विवरण का प्रकाशन करनाः

(भ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएंः

(म) संस्थान द्वारा स्थापित, संधारित प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों तथा संस्थाओं में विद्यार्थियों के शरीरिक, नैतिक तथा सामाजिक कल्याण के अभिवर्धन के उपाय अंगीकृत करना और उनके छात्रावासों के लिए शर्ते विहित करनाः

(य) संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रलाभ के लिए ऐसी रीति में, और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं पेंशन, बीमा भविष्य निधि और उपदान गठित करना, और ऐसे अनुदान देना, जैसा कि संस्थान उचित समझः

(कक) स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा का प्रचार करने की दृष्टि से शिक्षण पाठ्यक्रम और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य विवरण के बारे में राज्य सरकार को अनुशंसा करनाः और

(कख) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों या जो उनके आनुषांगिक या सहायक हों, संस्थान के प्राधिकार